बौद्धिक सम्पदा एवं डिजिटल अधिकार

Q. बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से क्या अभिप्राय है? इन अधिकारों की सुरक्षा हेतु कौन-कौन से उपाय अथवा तरीके हो सकते हैं?

Q. निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए :

(i) पेटेंट

(ii) कॉपीराइट

(iii) ट्रेडमार्क

(iv) GI Tag

(v) जेनेरिक दवाएं

बौद्धिक सम्पदा

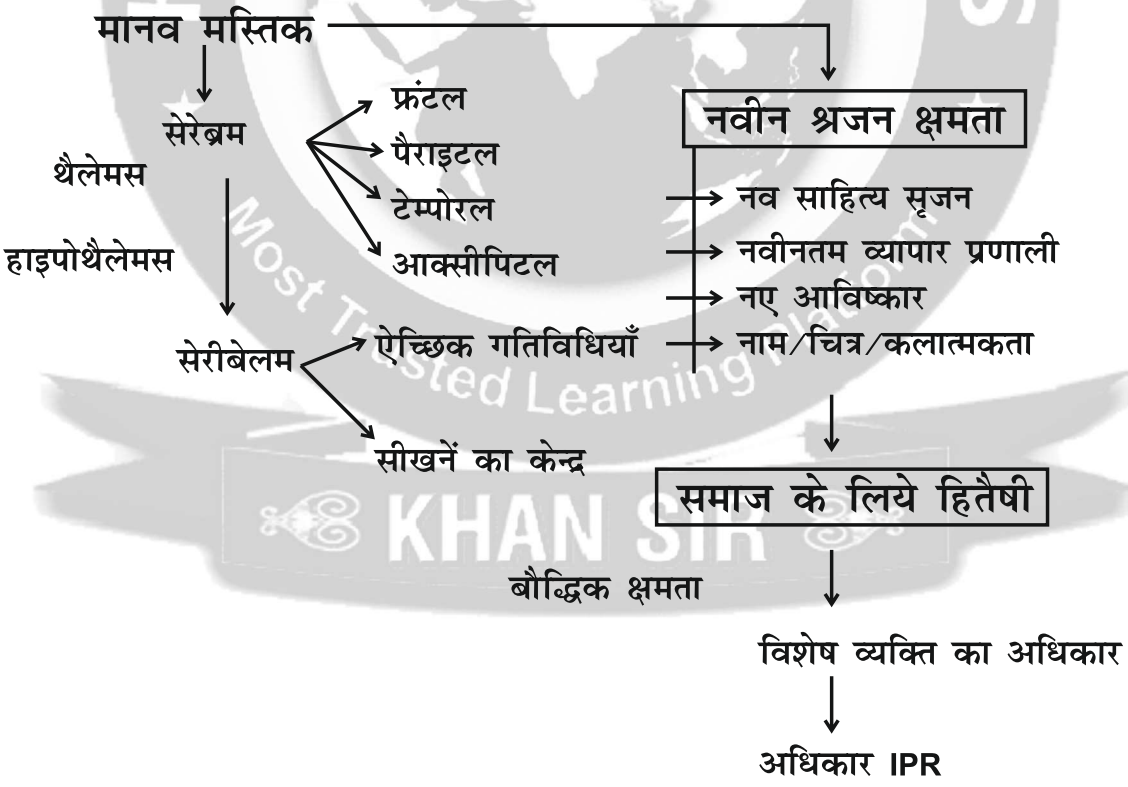

☛ मानव पृथ्वी पर मौजूद समस्त जीनों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान एवं श्रृजनशीलयुक्त मस्तिष्क वाला प्राणी है और उसके मस्तिष्क से सदैन नवीनतम अन्वेषण, साहित्यिक श्रृजनात्मकता, नये कलात्मक कार्य अथवा समाज के हित में अन्य नई महत्वपूर्ण बातें विकसित होती रहती है और मानव मस्तिष्क से विकसित यही नये श्रृजन बौद्धिक सम्पदा को दर्शाते हैं।

मानव के मस्तिष्क से विकसित होने वाली नवीकरणीय कृतियाँ जन समान के लिये उपयोगी व वांछित हो जाती है और यह श्रृजनकर्ता को आर्थिक लाभ भी दे सकें तो ऐसी दशा में बौद्धिक सम्पदा का व्यापक विस्तार हो जाता है। व्यक्ति बौद्धिक सम्पदा के लिये स्वयं अधिकारी होता है परन्तु कभी-कभी उसके द्वारा बौद्धिक तौर पर बनायी गयी वस्तु खोज आविष्कार आदि को किसी दूसरे व्यक्ति अपना व्यक्तियों के समूह द्वारा नकल करने की स्थिति बनी रहती है। ऐसी दशा में मूल श्रृजनकर्ता को आर्थिक नुकसान पहुँचता है। इसीयि मूल श्रृजनकर्ता की बौद्धिक शक्ति को चोरी होने अथवा नकल होने से बचाने के लिये राष्ट्र की सरकार द्वारा उस व्यक्ति को विशेष अधिकार दिये जाते हैं जिसे ही बौद्धिक सम्पदा अधिकार कहा जाता है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से सम्बन्धित प्रमुख बिन्दु :-

- बौद्धिक सम्पदा अधिकार निजी अधिकारों के तहत होते हैं और परिवर्तनीय भी होते हैं।
- IPR सदैव एक निश्चित अवधि के लिये ही दिये जाते हैं।
- IPR किसी राष्ट्र विशेष द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत कुछ शर्तों के आधार पर ही दिया जाता है।
- IPR प्राप्त करने वाला व्यक्ति सदैव लाभ हेतु एकोन्मुख होता है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR) निम्नलिखित रूप से दिये जाते हैं:-

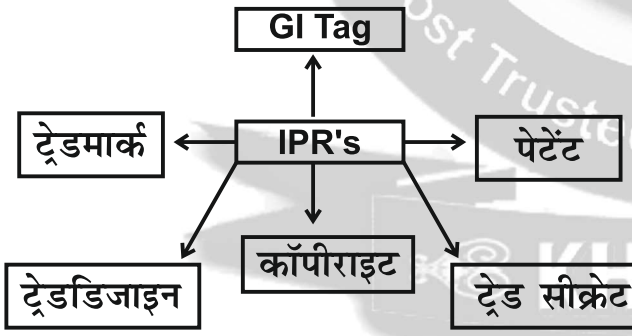

पेटेंट (एकस्व अधिकार)

☛ पेटेंट एक प्रकार का एकस्व अधिकार होता है जो कि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके नय आविष्कार सेवा तथा डिजाइन के लिये प्रदान किया जाता है जिससे की कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था नकल न कर सके तथा उक्त व्यक्ति अथवा संस्था को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

पेटेंट प्रणाली प्राय: किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत ही कार्य करती है और यह एक निश्चित अवधि 20 वर्ष के यि ही दी जाती है।

वैश्विक परिदृश्य में 20 मार्च 1983 में पेरिस सम्मेलन सम्पन्न हुआ था जो कि औद्योगिक सम्पदा की सुरक्षा के संदर्भ में आयोजित किया गया था। इसी पेरिस सम्मेलन से पेटेंट तथा ट्रेडमार्क का प्रादुर्भाव हुआ। भारत के संदर्भ में पेटेंट की शुरूआत पेटेंट अधिनियम 1970 से हुई और इसे व्यापक तौर पर प्रभावी बनाने के लिये Agreement on Trade Related Expect of Intellectual Property Right (TRIPS) के समझौते के आधार पर 1995, 1999, 2000, 2002, 2005 में संशोधन भी किये गये। वर्तमान में भारत सरकार नये आविष्कारों के आवा दवा कृषि तथा रसायन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आदि पर भी पेटेंट देने का प्रावधान रखती है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार अधिनियम 2016 तथा पेटेन्ट अधिनियम 1970 के नये संशोधनों के आधार पर भारत में पेटेंट प्रदान करने के निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- सभी श्रेणियों में पेटेंट की अवधि को बदलकर 20 वर्ष कर दिया गया है और जब यह अवधि समाप्त हो जायेगी तो कोई भी उत्पादक भारत सरकार से लाइसेन्स लेकर पूर्व में दिये गये पेटेंट वाले उतपादक को स्वयं भी बना सकता है।
- पेटेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति/संस्था पर सामाजिक तथा नैतिक जिम्मेदारी होगी और उससे यह आशा की जायेगी कि वह अपने पेटेंट प्राप्त उत्पाद को आवश्यक मात्रा में तथा उचित मूल्य पर समाज को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर राष्ट्र की सरकार पेटेंन्ट का अधिकार किसी अनय कम्पनी को दे सकती है अर्थात् भारत में पेटेन्ट परिवर्तनीय है। इसके लिए Compalsory Company Licensing Act 1970 बनाया गया है तथा इस Act की धारा 92 तथा 84 में इस प्रकार के स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं।

  वर्ष 2012 में भारतीय पेटेन्ट कार्यालय के द्वारा Compulsory Licensing Act के मुद्दे पर कार्य किया गया तथा जर्मनी की दवा निर्माता कम्पनी Nexa Ver के पेटेन्ट को पारित करने भारतीय कम्पनी NATCO को दे दिया गया क्योंकि Nexo, Ver, Antic cance Drug को 2 लाख 80 हजार प्रति 120 Tab बेच रही थी जो कि भारतीय समाज के लिये सामान्य बात नहीं थी। NATCO कम्पनी ने उक्त दवा को 8,000 रु./120 Tab उपलब्ध करा दिया जिससे इस दवा पर प्रत्येक व्यक्ति की पहुँच हो गयी।
- भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में धारा 3(D) के तहत Evergreen Tendency पर पूर्णनियन्त्रण का प्रावधान है।

Evergeening Tendency :

यह ऐसी प्रवृत्ति होती है जब कम्पनियों के द्वारा अपने पूर्व के पेटेन्ट उत्पाद में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके पुन: नये सिरे से पेटेन्ट लेने का प्रयास किया जाता है। इस प्रवृत्ति का सीधा-सा आशय यह है कि कम्पनियाँ प्राय: पेटेन्ट अवधि समाप्त होने पर अपने उत्पाद पर लाभ हेतु एकाधिकार बनाये रखना चाहती हैं।

Evergeening Tendency का एक मामला भारत के सन्दर्भ में प्रकाश में आया यह Sub SS Company Novartis का है। इनकी Anticancer दवा जिसका नाम Glivee था की जब पेटेन्ट अवधि समाप्त होने की थी तो पुन: इस दवा में सामान्य से परिवर्तन करके पेटेन्ट के लिये अर्जी दी गयी परन्तु Comptoral General of Patents & Design द्वारा इस आवेदन को निरस्त कर दिया गया तथा निरस्त करने का अधिकार Patent अधिनियम धारा 3(D) और 3(B) को बताया गया। बाद में SC ने इस मामले में भारतीय पेटेन्स कार्यालय के पक्ष में अपना निर्णय प्रदान किया।

Note :–

- पेटेन्ट प्राप्त करने के लिये प्राय: 3 स्थितियाँ बनती है।

(i) नई डिजाइन के लिये डिजाइन पेटेन्ट

(ii) उत्पादों के हूबहू नकल को रोकने के लिये उत्पाद पेटेन्ट

(iii) नवीनतम प्रक्रिया हेतु प्रक्रिया पेटेन्ट प्राप्त किये जाते हैं।

Copy Right : (प्रतिलिप्याधिकार)

☛ किसी भी प्रकार की साहित्य रचना, संगीत रचना, चलचित्र तथा ध्वनि रिकार्डिंग, कलात्मक नाट्य रचना, Software तथा Photo-graph आदि के लिये राष्ट्र सरकार द्वाराप्रदान किया जाने वाला अधिकार Copy Right कहलाता है। प्राय: इस अधिकारों से लेखक, फिल्मकार, संगीतकार, वास्तुविद्, Software निर्माता आदि अपनी बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा कर पाते हैं।

© अधिकार सृजनकर्ता के सम्पूर्ण जीवनकाल के लिये होता है तथा मृत्यु के बाद यह अधिकार 60 वर्षों तक चलता है। प्राय: Software तथा Cinamatographics के मामले में यह अधिकार निर्माण की अवधि से 60 वर्षों तक होता है।

Note :–

©प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद यह अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं।

☛ अन्तराष्ट्रीय स्तर पर © मामलों से जुड़ी हुई पहली सन्धि वर्न समझौते से हुई थी जिसकी अवधारणा 1886 में बनी थी जबकि © पद सबसे अन्तिम अन्तराष्ट्रीय समझौता 1955 में पारित हुआ था जिसे Universal Copyright Act के तौर पर जाना गया। भारत के सन्दर्भ में सन् 1957 में © अधिकार अधिनियम पारित किये गये थे तथा इन अधिकारों के उल्लंघन पर एक निश्चित राशि के जुर्माने और 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है।

Note :–

- भारत में © प्राप्त करने के लिये New Delhi में इसका रजिस्ट्रार कार्यालय बना हुआ है।
- © अधिकार प्राप्तकर्ता अपने अधिकारों को बेंच भी सकता है इसी आधार पर फिल्मों के रिमेक बनाये जाते हैं।

Trade mark

☛ ™ एक प्रकार का अधिकार चिन्ह/प्रतिक होता है जो किसी व्यवसायिक संस्था या व्यावसायिक उत्पाद के नाम Logo अथवा नाम से जुड़े हुए कला या Slogan के लिये दिया जाता है।

☛ ™ संस्था अथवा कम्पनी के चिन्हों को एक विशेष सुरक्षित अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार के अधिकारों की प्राप्ति के बाद प्राय: संस्था/कम्पनी अपने उत्पादों के साथ ™ या ® जैसे चिन्हों का उपयोग करती है। भारत में ™ से सम्बन्धित भारतीय ™ अधिनियम 1999 लाया गया जिसके तहत 10 वर्षों तक के लिये पंजीयन के अधिकार दिये जाते हैं इसके बाद पुन: नवीनीकरण की व्यवस्था बनायी गयी है।

Note :–

™ के लिये प्राय: भौगोलिक नामों के चयन से बचना चाहिए क्योंकि ऐसे नामों पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार सम्भव नहीं हो पाता।

GI टैग (भौगोलिक संसूचक टैग) :

☛ भौगोलिक संसूचक एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है जो कि किसी एक व्यक्ति का न होकर अपितु व्यक्तियों के समूह का होता है और यह अधिकार किसी विशेष स्थान के विशिष्ट प्राकृतिक कारकों अथवा परम्परागत विधियों पर आश्रित होता है।

भारत में भौगोलिक संसूचक कार्यक्रम आजादी के कई वर्षों बाद प्रारम्भ हुआ तथा 1999 में भौगोलिक संकेतक पंजीयन एवं संरक्षण अधिनियिम पारित किया गया तथा मूल रूप से 2003 में यह प्रभावी हो पाया।

वर्ष 2004-05 में दार्जलिंग चाय (प० बंगाल) को भारत का पहला GI Tag प्रदान किया गया और वर्तमान समय तक 320 से अधिक उत्पादों अथवा वस्तुओं को GI Tag दिया जा चुका है। उ०प्र० के संदर्भ में प्रयागराज के सूखा अमरूद को पहला GI Tag दिया गया था। इसके बाद मलीहाबाद का दशहरी आम, मिर्जापुर की कालीन, कन्नौज का इत्र, लखनऊ के चिकन को भी GI Tag प्रदान किया गया है।

Note :–

1. भारत में कर्नाटक राज्य को सर्वाधिक 38 उत्पादों पर GI Tag दिया गया है इसके बाद महाराष्ट्र व तमिलनाडु के क्रम आते हैं।
2. वर्तमान में कुछ नवीनतम उत्पादों पर GI Tag प्रदान किये गये है। जैसे :

- डोकरा क्राफ्ट (धातु नक्काशी) – अलिदाबाद (तेलंगाना)
- वारंगल की दरी – तेलंगाना
- कड़कनाथ मुर्गा – मध्य प्रदेश
- शाही लीची – बिहार
- नीलाम्बुर सागौन – केरल

ट्रेड सीक्रेट :-

☛ किसी उत्पाद को बनाने की विधि में किसी विशिष्ट पदार्थ के मिश्रण अथवा पदार्थ को बनाने की विशिष्ट प्रक्रिया, जिससे की उसमें नये गुणों का समावेशन किया जा सके ट्रेड सीक्रेट कहलाता है। प्रत्येक कम्पनी का अपना स्वयं का ट्रेड सीक्रेट होता है अथवा किसी भी राष्ट्र में व्यापार करते समय राष्ट्र की सरकारें कम्पनी को ट्रेड सीक्रेट के बारे में बताने के लिये बाध्य नहीं कर सकती। जैसे:- कोकाकोला, मैकडोनाल्ड अथवा मैगी नूडल्स आदि के ट्रेड सीक्रेट Open नहीं किये जा सकते।

मैड्रिड प्रोटोकॉल :-

☛ यह एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सन्धि है जो कि 1989 में प्रकाश में आयी थी। यह ट्रेड मार्क को विशेष सुरक्षा प्रदान करती है तथा जो राष्ट्र इस सन्धि में सम्मिलित है उन समस्त राष्ट्रों में कम्पनियों के ट्रेडमार्क सुरक्षित होते हैं। WIPO (world Intellectual Property Organization), जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैण्ड में है के द्वारा इसका संचालन किया जाता है।

ट्रेड डिजाइन :-

☛ यह एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो कि किसी कम्पनी की उत्पाद की आकृति, ढाँचा सजावट अथवा उत्पाद में प्रयुक्त रंगों व रेखाओं के लिये दिया जाता है। यह अधिकार उत्पाद के 2D और 3D दोनों अवस्थाओं में प्रदान किये जाते हैं। भारत के संदर्भ में भारतीय डिजाइन अधिनियम वर्ष 2000 पारित किया गया जो कि राष्ट्र में कार्य करने वाली कम्पनियों को ट्रेड डिजाइन का अधिकार प्रदान करता है।

जेनेरिक दवाऐं :-

☛ वे दवायें जिनकी पेटेण्ट अवधि समाप्ति हो गयी है और ऐसी स्थिति में अब कोई भी कम्पनी उस दवा को बना सकती है और अपने नाम से बेच सकती है चूंकि अब पूर्व ब्राण्ड नहीं रह जाता और ब्राण्ड वैल्यू कम होने से ये दवायें 70–80% तक सस्ती हो जाती है और इन्हीं को हम जेनेरिक दवायें कहते हैं।

☛ सये दवायें गुणवत्ता में ब्रांण्डेड दवाओं के समान ही होती है तथा दाम कम होने के कारण जन सामान्य के पहुँच में भी आ जाती है। इसीलिए भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों हेतु इन दवाओं का उत्थान समाज के लिये अत्यन्त उपयोगी साबित होगा।

☛ भारत में जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता लगभग 10% के आस-पास है और इन दवाओं की जनजागरूकता भी बहुत कम है इसीलिए भारतीय चिकित्सक प्राय: अपने मरीजों को ब्राण्डेड दवाओं की सलाह दे देते हें और इससे चिकित्सकों को अधिक कमीशन भी मिलता है। चूँकि जेनरिक दवाओं पर मेडिकल स्टोर को कम मार्जिन प्राप्त होती है और ऐसी स्थिति में यदि डॉक्टर सलाह भी दे तो ये दवायें उपलब्ध भी नहीं होगी। जेनरिक दवाओं को जन सामान्य में लाने हेतु इसके लिये जन जागरूकता बढ़ाती होगी तथा राष्ट्र स्तर पर जन औषधि केन्द्र खोलने हेतु तथा अन्य प्रायोजनाओं को भी बढ़ाना होगा।

☛ जेनेरिक दवाओं को लागू करने में पेटेण्ट के संदर्भ में Data Exclusive विवाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित कम्पनियों द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिये डेटा नियत की मांग करता है।

☛ Data Exclusive का अर्थ है कि किसी आविष्कार के दौरान अथवा दवाओं के निर्माण के दौरान जो आँकड़े उपलब्ध होते हैं उनपर पेटेण्ट धारक कम्पनी का सदैव पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अर्थात् पेटेण्ट की समाप्ति के बाद भी जिससे की कोई दूसरी कम्पनी अथवा सरकार उनके आँकड़ों का उपयोग न कर सके, और जेनेरिक दवाओं की प्रतिस्पर्धा से ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ बची रह सके।

◆◆◆

KHAN SIR